न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 66/2015

1. वीरपाल कौर पत्नी कालासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. गुरविन्द्रसिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख निवासी गांव सुजावलपुरातहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अजमेर कौर पत्नी पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी गांव सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी गांव सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 24.07.2012

उपस्थितिः—

श्री मदन लाल सिडाना, अभिभाषक अपीलांट।

श्री सतीश कुमार मुण्डेजा अभिभाषक रेस्पो.।

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता।

18/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 18.09.2017

अपालाथीगण द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद दिनांक 24.7.2012 के विरूद्ध पेश की गई है उक्त आदेश के द्वारा चक 6 बी बड़ा के खसरा नं. 44 के कि.न. 1 से 25 की 6.325 है. भूमि की सनद बग्गासिंह पुत्र चड़तसिंह के नाम से जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सनद बग्गासिंह के नाम से जारी की गई है एवं अधी. न्यायालय में जो रेकार्ड पेश हुआ है उसमें बग्गासिंह के वारिसान का कब्जा बताया गया है । अधी.न्यायालय ने रेकार्ड का अवलोकन किये बिने मृत व्यक्ति के नाम से सनद जारी कर दी इस प्रकार मृत व्यक्ति के पक्ष मे पारित आदेश शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमाति बाबत अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमाति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावें ।

18/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध अपील 24.04.2015 को पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे । इसके अलावा कथन किया कि अधी.न्यायालय ने सनद जारी करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्या अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध अपील 24.04.2015 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया गया हैं। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किये जाने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय द्वारा सनद बग्गासिंह के नाम से जारी की है एवं बग्गासिंह की मृत्यु दिनांक 16.09.1975 को हो चुकी है यह रेकार्ड से साबित है इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय ने

18/9/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मृत व्यक्ति के पक्ष में सनद जारी की है। जो विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमांड किया जाता है कि सनद मृत व्यक्ति के नाम जारी क्यों की, का स्पष्टीकरण पेश करे। अगर कोई स्पष्टीकरण न हो तो मृतक के विधिक वारिसान का अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र को आधार मानकर अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिक आदेश पारित करें । पक्षकार अधी.न्यायालय में सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 25.10.2017 को उपस्थित रहें ।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर